स्टेशन संचालन नियम सं. इज्जतनगर/03 चौबेपुर
जारी तिथि लागू तिथि

परिशिष्ट – क I

चौबेपुर स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक सं. 28 'सी' के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण

1.1 सामान्य –

(1) समपार फाटक की संख्या : **28** श्रेणी : **सी**

(2) इंजीनियरिंग/यातायात फाटक : **ट्रैफिक**

(3) अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरिक्षक : **स्टे0मा0/चौबेपुर**

(4) किलोमीटर पर स्थित : **25/5–6**

(5) स्टेशन **चौबेपुर**

(6) स्टेशन मध्य : **चौबेपुर एवं बर्राजपुर**

(7) बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0 : **बी.जी.**

(8) इकहरी/दोहरी/मिश्रित : **इकहरी**

(9) सामान्य स्थिति : **सड़क यातायात के लिए खुला**

(10) इण्टरलाक्ड/नानइण्टरलाक्ड : **इंटरलॉक**

(11) इण्टरलाकिंग का प्रकार : **अप, डाउन होम एवं अप स्टार्टर सिगनल से इण्टरलॉक्ड**

(12) गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर

 (i) डाउन लाइन : ————

 (ii) अप लाइन : ————

(13) संकेतन व्यवस्था : **कलर लाइट सिगनल**

(14) संचार साधन टेलिफोन/घंटी : **टेलीफोन स्टेमा/चौबेपुर से सम्बद्ध**

(15) समपार फाटक की चौड़ाई : **5.50 मीटर**

(16) सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य) : **अन्य**

(17) सड़क का नाम : **विलेज रोड**

(18) पक्का/कच्चा : **पक्का**

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(19) पहुँच मार्ग :	**पक्का**
(20) सड़क की चौड़ाई :	**3.50 मीटर**
(21) सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए) :	**समकोण**
(22) सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	**1:25**
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	**समतल**
(23) सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	**सीधा**
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	**सीधा**
(24) 'हाइट गेज का प्राविधान' :	**नहीं**
(25) बैरियर का प्रकार :	**लिफ्टिंग बैरियर**
(26) चेक रेल की लम्बाई :	**7.50 मीटर**
(27) समपार के मध्य सड़क का सतह :	**ए0 एस0 पी0**
(28) रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोधक की लम्बाई :	**3.50 मीटर**
(29) रोड साइन :	**उपलब्ध**
(30) गति अवरोधक बोर्ड :	**उपलब्ध**
(31) टी0वी0यू0 :	**3792 मार्च 2010**
(32) अगली गणना की तिथि :	**2013**
(33) पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान :	**हैं**
(34) गेटमैनो की संख्या :	**दो**
(35) निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र :	**डी.एम.ओ.कानपुर अनवरगंज**
(36) निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो :	**3.50 कि0 मी0 की दूरी पर है।**
(37) उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ/नही :	**हॉ**

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं. इज्जतनगर/03 **चौबेपुर**

जारी तिथि **लागू तिथि**

1.2 **उपकरण –**

(1)	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी) बैट्री चालित. K. Oil	01 + 02
(2)	हरी हाथ झंडी	01
(3)	लाल हाथ झंडी	03
(4)	बैनर फ्लैग लाल	03
(5)	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
(6)	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
(7)	पटाखा सिगनल	10
(8)	फ्यूजी	01
(9)	गेट लैम्प	02
(10)	टोमीवार	01
(11)	मोर्टार पैन (तसला)	01
(12)	फावड़ा/बेल्चा	01
(13)	दुर्मुठ	01
(14)	पिक एक्स	01
(15)	टिन केस झंडी के लिए	01
(16)	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
(17)	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
(18)	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
(19)	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
(20)	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
(21)	टोकरी	01
(22)	सीटी (Thunder Whistle)	01
(23)	दीवार घड़ी	01
(24)	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

1.3 <u>गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख</u>

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
(2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में।
(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
(4) डियूटी रोस्टर।
(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र।
(6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
(7) दुर्घटना रजिस्टर।
(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख।
(9) निरीक्षण पुस्तिका।
(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका

1.4 **<u>गेटमैन के कर्त्तव्य :</u>**

(1) <u>सावधानी</u>

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) **<u>ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति</u>**

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
(ii) दिन में गेट मैन दाँये हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **<u>गेट मैन की नियमित ड्यूटी</u>**

(i) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
(ii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
(iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।
(iv) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे– हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकता हुआ बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
(v) गेट मैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vi) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(vii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/चौबेपुर को सूचित करेगा।

(viii) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(ix) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(x) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xi) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiii) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xiv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्त्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xv) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) <u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u>

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा ।

(i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/चौबेपुर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) **किसी ट्रेन के विभक्त हो जाने की दशा में (पार्टिंग) गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल(लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।**

(v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/चौबेपुर को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) <u>आपात्कालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही</u>

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(जवाहर राम)	(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/चौबेपुर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/चौबेपुर कोई प्रत्युत्र नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 <u>गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा</u>

(अ) <u>इकहरी लाइन पर</u>

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।
(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
(iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्यूजी और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुॅचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहुॅच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
(viii) उसके उपरान्त गेट मैन फ्यूजी जलाकर लगा देगा जिससे ड्राइवर सचेत हो जाय तथा आने वाली ट्रेन को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) <u>गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही</u>

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे– वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर/चौबेपुर को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं. इज्जतनगर/03 चौबेपुर
जारी तिथि लागू तिथि

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति :–

कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन फँस न जाए। विंच को इस स्थिति में लॉक करने के लिए चाभी 'क्यू 1' को घुमाकर निकाल लेगा तथा इसे बूम लॉक लीवर पर लगे 'ई' प्रकार के लॉक में चाभी 'क्यू 1' लगाकर घुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी। लीवर को विपरीत दिशा में खीचनें से बूमों को क्षैतिजीय स्थिति में पाशित करेगा। 'क्यू' चाभी बूम लॉक लीवर से निकालने के बाद गेट लाज में लगे लीवर लॉक में लगाकर क्लाक वाइज घुमाएगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इंडिकेशन मिलेगा।

गाडी के गुजरने के बाद गेट लाज में प्रदत्त लीवर लाक फ्री इंडिकेशन मिलने के बाद गेट मैन 'क्यू' चाभी लीवर लाक से एन्टी क्लाक वाइज घुमाकर चाभी 'क्यू' निकाल ली जाएगी। 'क्यू' चाबी को लीवर नं. 1 में लगाकर लीवर को सामान्य अवस्था में करके चाबी 'क्यू 1' निकाली जाएगी जिसे विन्च में लगाकर विन्च को संचालित कर गेट को तब तक खोला जाएगा जब तक दोनों बैरियर लगभग उर्ध्वाधार ना हो जाये।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नही रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नही रखना चाहिए।

2.2 गेटमैन को सूचित करना :–

1. स्टेशन मास्टर/चौबेपुर किसी डाउन गाडी के लिए आगमन सिगनल अथवा अप गाडी के लिए प्रस्थान सिगनल ऑफ करने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी संख्या, विवरण, दिशा, को समय से सूचित करेगा।
2. गेटमैन गेट को बन्द करके चाबी गेट लाज में लगे लीवर लॉक में लगाकर क्लाक वाइज घुमाएगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इंडिकेशन मिलेगा।
3. इसके पश्चात स्टेशन मास्टर द्वारा आगमन/प्रस्थान सिगनलों को ऑफ किया जायेगा।
4. सडक यातायात को अधिक विलम्ब न हों यह सुनिश्चित करने के लिए स्टेमा/चौबेपुर गेटमैन को गेट बन्द करने के लिए तभी सूचित करेगा जब वह यह सुनिश्चित कर लेगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिए पूर्णतया तैयार है।
5. जब किसी गाड़ी को स्टेशन से/को यार्ड से/में पाइलेट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट करना हो तो गाड़ी पाइलेट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह फाटक पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है।

नोट :– स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगा –

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	गेटमैन को सूचित करने का समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4

गेटमैन की लॉग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने /की–ट्रॉसमिट करने का समय	समपार से पूरी गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय/समपार खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

2.3 <u>टेलीफोन संचार की विफलता</u> :–

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा –

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर गेटमैन के पास रेल कर्मचारी द्वारा लिखित सूचना भेजेगा जिसमें गाड़ी का नम्बर विवरण तथा दिशा लिखी होगी।
2. गेटमैन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को बन्द करेगा और चाबी गेट लाज में लगे लीवर लॉक में लगाकर क्लाक वाइज घुमाएगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इंडिकेशन मिलेगा जो स्टेशन मास्टर को आगमन/प्रस्थान सिगनलों को ऑफ करने के लिए प्राधिकृत कर देगा।
3. यदि गाड़ियों की आवृत्ति के कारण समुचित समय न हो तो स्टेशन मास्टर/चौबेपुर गाड़ी के चालक को सिगनल 'आन' की दशा में पार करने हेतु लिखित प्राधिकार देगा।
4. इसके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर/चौबेपुर गाड़ी के चालक को लगातार सीटी बजाने एवं गेट तक सर्तकतापूर्वक बढ़ने के लिए सर्तकता आदेश देगा।
5. गाड़ी के चालक को निर्देश दिया जायेगा कि वह गेटमैन के हाथ संकेत पर सर्तकतापूर्वक गेट को पार करे। यदि हाथ संकेत नहीं दिखाई देता है तो ड्राइवर को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक ड्राइवर को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक ड्राइवर 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही हैं तो सहायक ड्राइवर समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक ड्राइवर की अनुपस्थिति में ड्राइवर सहायक गार्ड की सहायता लेगा।
6. जब गाड़ी बर्राजपुर के तरफ से आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/बर्राजपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।
7. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बर्राजपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को ब्लॉक खण्ड में भेजने से पूर्व सतर्कता आदेश जारी करेगा।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 <u>लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता</u> :–

1. जब लिफ्टिंग बैरियर रवराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेमा/चौबेपुर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिए सुरक्षा चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. जब गाड़ी बर्राजपुर की तरफ से आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/बर्राजपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बर्राजपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है अति शीध्र जब लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग जब लिफ्टिंग बैरियर ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

टिप्पणी :– सभी आने और जाने वाली गाड़ियों के चालक को नियमानुसार सिगनलों को ऑन की स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार दिया जायेगा।

2.5 <u>गेट की 'चाभी' गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'चाभी' गेट को खोलने के लिए लीवर लाक से निकाली न जा सके</u> :–

1. जब गेट चाभी लीवरलाक से बाहर नही निकाली जा सकती तब गेटमैन् तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर स्टेशन पैनल कक्ष में स्थापित पार्किंग एचकेटी से आपात्कालीन चाभी 'क्यूई' निकाल कर समपार फाटक पर भेजेगा तथा स्टेशन मास्टर निम्न लाग रजिस्टर मे इन्दराज करेगा।

क0सं0	दिनांक	गेट संख्या	चाभी संख्या	चाभी भेजने का समय	प्रयोग का कारण
1	2	3	4	5	6

2. गेटमैन चाभी 'क्यूई' बूमलाक लीवर में लगाकर बूम को अनलाक करेगा तथा पैरा 2.1 में वर्णित विधि से समपार फाटक को खोलेगा।
3. इस परिस्थिति में गेट को नॉन इंटरलॉक गेट समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
4. गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर सतर्कता आदेश जारी करेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/बर्राजपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बर्राजपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को खराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं. इज्जतनगर/03 चौबेपुर
जारी तिथि लागू तिथि

2.6 <u>'गेट चाभी' का गेट के खुली दशा में विफल हो जाना</u> :–

1. जब गेट चाभी विन्च से या लीवर लॉक से बाहर नही निकाला जा सकता तब गेटमैन् तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2. इस परिस्थिति में गेट को नॉन इंटरलॉक गेट समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही करने चाहिए।
3. गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा इसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर सतर्कता आदेश गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए जारी करेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/बर्राजपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट खुली दशा में खराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बर्राजपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को खराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.7 <u>समपार फाटक पर अवरोध</u> :–

1. यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिगं बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो तुरन्त आपात्कालीन स्विच के द्वारा गेट रक्षित करने वाले सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा जिसकी विधि निम्नवत् है :–

   <u>आपात्कालीन स्विच :</u> आपातकालीन समय में गेट रक्षित सिगनलों को 'आफ' से 'आन' स्थिति में करने के लिये समपार संख्या 28 सी पर एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास लगे केस में लगा है। केस सील रहता है। आपात स्थिति में गेट रक्षित सिगनलों को 'आन' करने के लिये गेट मैन ग्लास केस के सामने लगे शीशे में लगी सील को तोड़कर स्विच को घुमायेगा। ऐसा करने से सिगनल 'आन' हो जायेंगे। इसका विवरण कार्यरत गेटमैन पैरा 2.2 दिये गये लाग रजिस्टर के कालम 6 में अंकित करते हुए डायरी में विस्तृत विवरण भरेगा तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। आपात स्थिति समाप्त होने पर स्विच को नार्मल कर देगा। केस को एस. एण्ड टी. स्टाफ द्वारा पुनः सील किया जायेगा।

2. समपार के दोनो तरफ आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्टों पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
3. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो तीन प्रयासो के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर के द्वारा कोई प्रत्युतर नही प्राप्त होता हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
5. गेटमैन पटाखा फ्यूजी तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित हैं, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।
6. तदोपरान्त गेटमैन गेट का दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों जैसे चालक का नाम, वाहन संख्या, सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर स्टेशन मास्टर/चौबेपुर को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/चौबेपुर तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क वाहन या लिफ्टिगं बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/बर्राजपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर को सूचित करेगा।
10. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर सभी ट्रेन के चालको को सर्तकता आदेश जारी करेगा कि गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानी पूर्वक पार करें। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाडियो को दिखायेगा।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को खराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.8 <u>समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध</u> :—

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/चौबेपुर मद सं. 2.7 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाय।

(जवाहर राम)	(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर